कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प. 16(परिपत्र)2005/FCA/प्रमुवसं/Pt 5/5784 दिनांक : 25.08.2015

परिपत्र

किसी व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था या राजकीय विभाग द्वारा बिना सक्षम अधिकारी से प्रदत्त अधिकारों के वन भूमि का अधिभोग में लेना या उसका अधिभोग में लेना जारी रखना राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 26 एवं 33 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 सपठित धारा–3 ए के तहत अपराधिक कृत्य है। ऐसे अतिक्रमी (अतिचारी) को उपरोक्त अधिनियमों के अधीन अपराधिक कृत्य के लिए इस बाबत अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा दण्डित कराये जाने की कार्यवाही करनी होती है।

विभाग के ध्यान में आया है कि वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्यों का सम्पादन बिना सक्षम स्वीकृति करा दिया जाता है व विभागीय अधिकारी कर्मचारी ऐसे मामलों का संज्ञान लेकर न तो गैर वानिकी कार्य कराने वाले व्यक्ति/संस्था/राजकीय विभाग के विरूद्व राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज करते हैं न ही संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा राज्य सरकार के पत्रांक एफ(1)(5)वन/2010 दिनांक 19.12.11 के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत बनाये गये वन (संरक्षण) नियम, 2003 के नियम 9 एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01, अक्टूबर, 2003 के अनुरूप वन (संरक्षण) अधिनियम के उल्लंघन की रिपोर्ट क्षैत्रिय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, लखनऊ को प्रेषित की जाती है।

अतः समस्त वन अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि अधिनियमों के उल्लंघन के मामलों में जागरूक रहकर तत्परता से कार्यवाही कर राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के अनुसार संबंधित के विरूद्व वन अपराध की प्राथमिक सूचना दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। उक्त प्रकरण में जांच के दौरान अगर यह भी पाया जाता है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 का स्पष्ट उल्लंघन भी हुआ है तो सम्बन्धित राजकीय विभाग एवं संस्था जिसने बिना भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/वन विभाग, राजस्थान सरकार की उक्त अधिनियम के तहत पूर्व स्वीकृति के वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य करने के लिए कोई आदेश जारी किया है तो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए भी प्रकरण सम्बन्धित के विरूद्ध बना कर राज्य सरकार के पत्रांक एफ 1(5) वन/2010 दिनांकः 19 दिसम्बर, 2011 के निर्देशानुसार संबंधित उप वन संरक्षक के माध्यम से क्षैत्रिय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ को भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि रिपोर्ट पर भारत सरकार के कार्यालय द्वारा संबंधित न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराया जा सके। साथ ही अपने उच्च कार्यालय तथा अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए., राजस्थान, जयपुर को भी सूचित करें।

सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक एवं उप वन संरक्षक यह भी सुनिश्चित करें कि यदि उनके अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही से नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्षम स्तर से करना/करवाना सुनिश्चित करें।

(डॉ0एस.एस.चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(HoFF),
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : प. 16(परिपत्र)2005/वसु/प्रमुवसं/Pt 5/5785-5884 दिनांक : 25.08.2015.

प्रतिलिपि निम्नांकित को मय राज्य सरकार के पत्रांक एफ(1)(5)वन/2010 दिनांक 19.12.11 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अति0 मुख्य सचिव, वन विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त/प्रशिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रसार राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. समस्त मुख्य वन संरक्षक
7. समस्त उप वन संरक्षक

(सी.एस.रत्नासामी)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.
राजस्थान, जयपुर।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF FORESTS

No. F.1(5)Forest/2010 Jaipur, dated : December 19, 2011

To,
Principal Chief Conservator of Forests (HoFF)
Rajasthan,
Jaipur.

Sub: Reporting of cases of the violation of Forest (Conservation) Act, 1980.

Sir,

In reference to above subject, it has been observed that in many cases of violation of FCA, the DFOs directly communicate to the Regional Office, MoEF, Lucknow through their endorsements. Hence, I am directed to inform you that in view of the specific provisions of law and the practice prevailing at present, the State Government hereby authorizes the Nodal Officer, FCA and concerned DFOs to send report on behalf of the State Government for each case of the violation of the Forest (Conservation) Act, wherever there is violation of the nature which warrants action under section 2, to be reported to the Central Government. The report should be sent as per guidelines and clarifications issued by the Ministry of Environment & Forests regarding Forest (Conservation) Act, 1980 in para 1.9 Clarification of Section 3B of the Act and MoEF Notification S.O. 1186(E) (F.No.5-5/98-FC) dated 1/10/2003 to the Chief Conservator of Forests, Regional Office, MoEF, Lucknow

Yours faithfully,

(C.S. Ratnasamy)
Secretary, Forests

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

कमांकः एफ16(परिपत्र)2005/वसु/प्रमुवसं/33-182 दिनांकः 4.1.12

प्रतिलिपीः–समस्त वनाधिकारीगणों को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

उप वन संरक्षक,
एफसीए, वनभवन, जयपुर